एसबीएस
आचार संहिता

मई 2026

SBS

पूर्वोक्ति

स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अधिनियम 1991 (Cth) **एसबीएस चार्टर** निर्धारित करता है, जिसमें एसबीएस का मुख्य कार्य बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और इंडिजिनस प्रसारण तथा डिजिटल मीडिया सेवाएँ प्रदान करना है, जो सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन प्रदान करती हैं। एसबीएस एक विविध राष्ट्रीय प्रसारक है। हमारी विशिष्ट सामग्री की व्यापकता उद्देश्यपूर्वक समकालीन ऑस्ट्रेलिया की विविधता को दर्शाती है।

एसबीएस बोर्ड के कार्यों के निर्वहन में अनुमोदित एसबीएस आचार संहिता, उन सिद्धांतों और नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो एसबीएस का मार्गदर्शन करती हैं, और यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सामग्री पर संपादकीय स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक लागू हों। यह दर्शकों का विश्वास जीतने और बनाए रखने के लिए, तथा ऐसे समय में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जब स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारण और डिजिटल मीडिया सेवाओं की विश्वसनीयता और भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

एसबीएस आचार संहिता तीन सिद्धांतों के ढांचे पर निर्धारित की गई है, जिनके आधार पर एसबीएस स्वयं को उत्तरदायी ठहराता है – विश्वास, पारदर्शिता और सम्मान। यह एसबीएस की तथ्यात्मक सामग्री की सटीकता, हमारे समाचार और समसामयिक मामलों में निष्पक्षता और संतुलन, सामग्री का समय-निर्धारण, विज्ञापन और प्रायोजन, तथा शिकायतों का निवारण करने जैसे मामलों से संबंधित जिम्मेदारियों का विवरण देता है।

अन्य एसबीएस नीतियों और दिशानिर्देशों के साथ, एसबीएस आचार संहिता एसबीएस को स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करती है कि इसके चैनलों और प्लेटफ़ॉर्मों पर क्या प्रसारित या प्रकाशित किया जाए, जिसमें अंतिम संपादकीय जिम्मेदारी मुख्य संपादक और एसबीएस बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रबंध निदेशक की होती है।

एसबीएस अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है ताकि उसकी नीतियाँ उद्देश्य के अनुरूप हों और हमसे अपेक्षित उच्च मानकों का समर्थन करें, तथा एसबीएस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संपादकीय अखंडता की प्रतिष्ठा बनाए रखें। एसबीएस आचार संहिता समय के साथ ऐसे विकसित हुई है ताकि यह सामुदायिक मानकों, दर्शकों की आवश्यकताओं, क्षेत्र में हुए परिवर्तनों, नियामक अपडेट और एसबीएस की सेवाओं में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शा सके। एसबीएस दर्शकों को उनकी पसंद के प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा देने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है। यह आचार संहिता इसे प्रतिबिंबित करती है, सभी एसबीएस-निर्मित और अधिग्रहित सामग्री पर मानक लागू करती है, चाहे वह किसी भी माध्यम से वितरित की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और स्ट्रीमिंग सेवाओं से लेकर पारंपरिक टेलीविजन और ओवर-द-एयर रेडियो तक, यह हमारी सभी सामग्री पर लागू होती है।

एसबीएस का दृष्टिकोण सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हमारी विविध दुनिया का अवलोकन करने, उसका सम्मान करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिले। एसबीएस अचार संहिता में निर्धारित स्पष्ट मानदंडों और सिद्धांतों के साथ, एसबीएस अपने चार्टर और उद्देश्य को पूरा करना जारी रखेगा, हमारे विविध समुदायों के लिए आवश्यक सेवाएँ और आज के ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रासंगिक उच्च गुणवत्ता वाली, स्वतंत्र, विशिष्ट सामग्री प्रदान करेगा।

जेन पालफ्रेयमैन
प्रबंध निदेशक

सामग्री

पूर्वोक्ति 1

1. परिचय 3

2. आवेदन 4

2.1 एसबीएस सामग्री और प्लेटफ़ॉर्म 4

2.2 अपवाद 4

2.3 संदर्भ 5

3. विश्वास 6

3.1 संपादकीय स्वतंत्रता औरअखंडता 6

3.2 सटीकता 6

3.3 विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता 6

3.4 संतुलित और निष्पक्ष समाचार और समसामयिक घटनाएँ

4. पारदर्शिता 8

4.1 हानि और अपराध 8

4.2 विज्ञापन और प्रायोजन 9

4.3 सामुदायिक जानकारी 11

5. सम्मान 12

5.1 पूर्वाग्रह, नस्लवाद और भेदभाव 12

5.2 स्व-पहचान 12

5.3 सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध सामग्री 12

5.4 इंडिजिनस संस्कृतियाँ 13

5.5 गोपनीयता 14

6. प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और शिकायतें 15

6.1 प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और सामान्य (गैर-कोड) शिकायतें 15

6.2 प्रसारित या प्रकाशित सामग्री के संबंध में कोड शिकायतें 15

7. शब्दावली 18

परिशिष्ट 1 20

एसबीएस वर्गीकरण दिशानिर्देश 20

1. परिचय

एसबीएस आचार संहिता (कोड) उन सिद्धांतों और नीतियों को निर्धारित करती है जिनका उपयोग एसबीएस अपनी सामग्री का मार्गदर्शन करने के लिए करता है, ताकि एसबीएस संपादकीय स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रख सके।

इस कोड के अतिरिक्त और इससे स्वतंत्र, एसबीएस अपनी सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित अन्य नीतियों और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन करता है।

कोड को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि यह उद्देश्य के अनुरूप बना रहे।

स्पेशल ब्राडकास्टिंग सर्विस अधिनियम 1991 (Cth), जिसमें **एसबीएस चार्टर** शामिल है, के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, एसबीएस **विश्वास, पारदर्शिता और सम्मान** के सिद्धांतों पर कार्य करता है। ये सिद्धांत परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं, हमारे सभी प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, और ये वे मानक हैं जिनके आधार पर हम स्वयं को उत्तरदायी ठहराते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से, सभी ऑस्ट्रेलियाई आश्वस्त हो सकते हैं कि एसबीएस अपने दर्शकों से किया गया वादा पूरा करेगा।

दर्शकों का **विश्वास** अर्जित करना और बनाए रखना हमारे सभी कार्यों के केंद्र में है।

एसबीएस विश्वसनीय जानकारी का एक स्रोत है जो विविध और जीवंत समाज का समर्थन करने वाले और उसमें योगदान देने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाता है।

एसबीएस सुदृढ़ संपादकीय मानकों का पालन करता है। दर्शक यह भरोसा रख सकते हैं कि एसबीएस समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्ट सटीक, संतुलित और निष्पक्ष होगी। एसबीएस ऑस्ट्रेलिया में खुली और रचनात्मक चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और सूचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है।

अपने मजबूत संपादकीय मानकों के माध्यम से, एसबीएस विश्वसनीय सामग्री प्रदान करता है जो गलत सूचना और भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने में मदद करती है।

एसबीएस यह सुनिश्चित करता है कि वह दर्शकों को प्रदान की जाने वाली जानकारी और अपनी सेवाएँ प्रदान करने के तरीके में **पारदर्शी** हो।

एसबीएस सामग्री की एक व्यापक और विविध श्रृंखला प्रदान करता है, और दर्शकों को मार्गदर्शन भी देता है ताकि वे अपनी ज़रूरतों के अनुसार सबसे उपयुक्त सामग्री चुन सकें।

सम्मान एसबीएस का मूल है। एसबीएस सम्मानजनक संवादों को सुगम बनाता है, विभिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, और समझ को बढ़ावा देता है।

एसबीएस विविधता और समावेशन का घर है। एसबीएस बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया सामग्री तथा सेवाएँ प्रदान करके ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज और एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और एक जीवंत तथा सुसंगठित बहुसांस्कृतिक समाज के निर्माण में योगदान देता है। ऐसा कर के, एसबीएस सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधता की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देता है।

एसबीएस स्वीकार करता है कि एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के निवासी विविध और विशिष्ट तरीकों से अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रथम राष्ट्रों के लोगों के संदर्भ में इस संहिता में एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के निवासी, प्रथम राष्ट्र और इंडिजिनस शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है।

इन सेवाओं को प्रदान करते समय एसबीएस व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकार और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाता है।

अपनी सामग्री और सेवाओं के माध्यम से, एसबीएस नए आगंतुकों को उस देश को समझने में मदद करता है जिसे वे अब अपना घर कहते हैं, साथ ही सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एक-दूसरे और हमारी कई संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने और सम्मान करने में सहायता करता है, जिससे सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है।

2. आवेदन

2.1 एसबीएस सामग्री और प्लेटफ़ॉर्म

यह कोड उस सामग्री पर लागू होता है जिसे एसबीएस द्वारा अपने उन प्लेटफ़ॉर्मों पर प्रसारण या प्रकाशन के लिए उत्पादित, कमीशन, अधिग्रहित या अन्यथा प्राप्त किया गया हो, जिन पर एसबीएस का संपादकीय नियंत्रण है (SBS सामग्री)।

इसमें शामिल हैं:

- ऑडियो और वीडियो सामग्री, और लिखित सामग्री, जिसमें टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम, ऑनलाइन लेख, पॉडकास्ट, ऐप्स और सोशल मीडिया सामग्री;
- प्रोग्राम, चैनल और नेटवर्क प्रचार जैसी सामग्री।

SBS प्लेटफ़ॉर्म में शामिल हैं:

- एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाएँ;
- एसबीएस रेडियो प्रसारण सेवाएँ;
- एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ, जिनमें ऑन-डिमांड, लाइव स्ट्रीमिंग सेवाएँ और एसबीएस ऑन डिमांड, एसबीएस ऑडियो सेवाएँ, पॉडकास्ट, और एसबीएस वेबसाइट पर फास्ट चैनल;
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म सहित तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर एसबीएस ब्रांडेड और प्रबंधित खाते और सेवाएँ।

इस कोड में 'एसबीएस' के संदर्भ, जब तक अन्यथा संकेत न किया गया हो, सभी एसबीएस प्लेटफ़ॉर्मों को संदर्भित करते हैं।

एसबीएस का लक्ष्य, जहाँ तक संभव हो, अपने सभी प्लेटफ़ॉर्म पर सुसंगत मानक लागू करना है। प्रसारण और डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों में अंतर के कारण, इस संहिता के कुछ प्रावधानों के अनुप्रयोग में कुछ भिन्नता हो सकती है।

एसबीएस कई संबंधित नीतियों, उद्योग मानकों, नियमों और दिशानिर्देशों के तहत भी संचालित होता है जो कोड का हिस्सा नहीं हैं, जिनमें **एसबीएस वाणिज्यिक, वित्त पोषण और बाहरी संबंध दिशानिर्देश**, तथा **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए एसबीएस मार्गदर्शक सिद्धांत** शामिल हैं।

2.2 अपवाद

यह संहिता निम्नलिखित पर लागू नहीं होती:

- गैर-एसबीएस-निर्मित समाचार और समसामयिकी घटनाएँ(**देखें 2.2.1**);
- एसबीएस वेबसाइट पर कॉर्पोरेट जानकारी, जिसमें मीडिया विज्ञप्तियाँ, नीतियां और दिशानिर्देश, और वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं;
- एसबीएस प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई देने वाले विज्ञापनों, प्रायोजन घोषणाओं, और सामुदायिक सेवा घोषणाओं (CSAs) की सामग्री;
- तृतीय-पक्ष प्लेटफार्मों पर एसबीएस ब्रांडेड और प्रबंधित खातों और सेवाओं पर विज्ञापन;
- तृतीय-पक्ष पोस्ट (उदाहरण के लिए, टिप्पणियाँ) और उन पोस्टों की मध्यस्थता और प्रबंधन, जो एसबीएस ब्रांडेड और प्रबंधित सोशल मीडिया खातों और सेवाओं पर हैं, जो **एसबीएस नियम और शर्तों** के अधीन हैं;
- एसबीएस कार्यक्रम अनुसूचियाँ, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड और **एसबीएस ऑन डिमांड गाइड** शामिल हैं।

2.2.1 गैर-एसबीएस-निर्मित समाचार और समसामयिकी घटनाएँ

एसबीएस अपने सभी प्लेटफ़ॉर्मों पर अंतरराष्ट्रीय स्रोतों (वर्ल्डवॉच सेवाओं सहित) से प्राप्त समाचार और समसामयिक घटनाओं की सामग्री को काफी हद तक बिना संपादित किए प्रसारित और प्रकाशित करता है।

एसबीएस ऐसी सामग्री के स्रोत की पहचान करेगा ताकि दर्शक स्वयं यह निर्णय ले सकें कि मुद्दों और सूचनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रावधान के तहत प्रसारित और प्रकाशित सामग्री से पहले एक अस्वीकरण दिया जायेगा, जिसमें दर्शकों को सूचित किया जाएगा कि एसबीएस आचार संहिता लागू नहीं होती है और इसमें चिंताजनक सामग्री हो सकती है।

एसबीएस ऑडियो के मामले में, यह हमेशा संभव नहीं हो सकता कि अस्वीकरण सामग्री से पहले हो। ऐसे मामलों में, अस्वीकरण कार्यक्रम के दौरान और संबंधित एसबीएस प्लेटफ़ॉर्म पर कार्यक्रम की जानकारी के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

ये अंतरराष्ट्रीय समाचार और समसामयिक घटनाओं की सेवाएँ ऑस्ट्रेलिया के विविध बहुसांस्कृतिक समुदायों की व्यक्तिगत भाषा और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के कई निवासियों के मूल स्थानों से नियमित समाचार सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं। ये सेवाएँ सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को विश्व समाचार घटनाओं पर वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती हैं। अधिकांश सामग्री अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में है और इसमें उपशीर्षक नहीं हैं। ये सेवाएँ सरकारी, सार्वजनिक और वाणिज्यिक मीडिया प्रदाताओं सहित विभिन्न विदेशी स्रोतों से प्राप्त की गई हैं।

2.3 संदर्भ

कोड का अनुप्रयोग संदर्भ द्वारा निर्देशित होता है। जो एक संदर्भ में अस्वीकार्य है, वह दूसरे संदर्भ में उचित और स्वीकार्य हो सकता है।

यह कोड तथ्यात्मक सामग्री, राय, या प्रकृति में हास्यपूर्ण, व्यंग्यात्मक, कलात्मक या नाटकीय सामग्री प्रस्तुत करने से नहीं रोकता। इसमें ऐसी सामग्री शामिल है जो कुछ दर्शकों के लिए आपत्तिजनक या अप्रिय हो सकती है।

संदर्भ का आकलन करते समय, जिसमें शिकायतों के आकलन से संबंधित मामले भी शामिल हैं, एसबीएस निम्नलिखित सहित कई कारकों पर विचार करेगा:

- सामग्री की प्रकृति– जिसमें इसकी शैली, विषय-वस्तु और संपादकीय उद्देश्य शामिल हैं;
- वह प्लेटफ़ॉर्म या सेवा जिस पर सामग्री प्रसारित या प्रकाशित की जाती है;
- उचित दर्शक अपेक्षाएँ;
- अपेक्षित दर्शकों की उचित संवेदनशीलताएँ।

3. विश्वास

3.1 संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता

एसबीएस सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसकी सभी सामग्री में इसकी संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता पर भरोसा करते हैं।

एसबीएस स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करता है कि एसबीएस प्लेटफ़ॉर्म पर क्या प्रसारित और प्रकाशित किया जाता है।

एनआईटीवी की सामग्री मुख्य रूप से एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर निवासियों द्वारा, उनके लिए और उनके बारे में तैयार की जाती है। एनआईटीवी यह सुनिश्चित करता है कि प्रथम राष्ट्रों के ज्ञान, स्वरों और दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दी जाए और एक इंडिजिनस दृष्टिकोण से सटीक तथा प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाए। इंडिजिनस समुदाय का विश्वास और सम्मान बनाए रखना सर्वोपरि है।

3.2 सटीकता

एसबीएस जानबूझकर और महत्वपूर्ण रूप से तथ्यात्मक सामग्री की प्रस्तुति में दर्शकों को भ्रमित नहीं करेगा।

एसबीएस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि समाचार और समसामयिक घटनाओं सहित तथ्यात्मक सामग्री को प्रसारण या प्रकाशन के समय ज्ञात परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सटीकता के साथ एकत्रित और प्रस्तुत किया जाए।

सटीकता की आवश्यकता का यह अर्थ नहीं है कि प्रसारित या प्रकाशित मामलों से संबंधित सभी तथ्यात्मक सामग्री का व्यापक समावेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एसबीएस तथ्यों की महत्वपूर्ण त्रुटियों को स्वीकार करने और सुधारने के लिए उचित और समय पर कदम उठाएगा।

3.3 दृष्टिकोणों और परिप्रेक्ष्यों की विविधता

एसबीएस विविध अनुभवों, विश्वासों, संस्कृतियों और भाषाओं को प्रतिबिंबित करने वाली सामग्री का प्रसारण और प्रकाशन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एसबीएस उपयुक्त सामग्री की उपलब्धता के अधीन विचारों और दृष्टिकोणों की एक व्यापक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेगा।

एसबीएस विशेष विषय-वस्तु से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों को उचित महत्व देगा।

एसबीएस वृत्तचित्रों और विचार लेखों जैसी सामग्री का प्रसारण और प्रकाशन कर सकता है, जो विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं या मुद्दों के विशिष्ट पहलुओं की पड़ताल करती हैं। ऐसी सामग्री को किसी विशेष मुद्दे से संबंधित प्रत्येक दृष्टिकोण या सभी उपलब्ध सामग्री प्रस्तुत करने या विभिन्न दृष्टिकोणों को समान समय आवंटित करने की आवश्यकता नहीं होती।

एनआईटीवी की सामग्री एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर निवासियों के स्वरों, हितों और दृष्टिकोणों को प्राथमिकता देती है। एनआईटीवी प्रथम राष्ट्र लोगों की विविधता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि इंडिजिनस दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाए।

3.4 संतुलित और निष्पक्ष समाचार और समसामयिक घटनाएँ

एसबीएस स्वतंत्र रूप से अपने समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों तथा अन्य प्रकाशित सामग्री का निर्णय करता है।

एसबीएस द्वारा निर्मित और एसबीएस द्वारा कमीशन की गई समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री का उद्देश्य मुद्दों और घटनाओं का संतुलित और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्रदान करना है, जिसमें प्रासंगिक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला भी शामिल है। समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री में राय और टिप्पणी शामिल हो सकती है।

एनआईटीवी एबोरिजिनल तथा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के दृष्टिकोण से समाचार और समसामयिक मामलों को प्रस्तुत करता है।

एसबीएस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री निष्पक्ष रूप से एकत्रित और प्रस्तुत की जाए तथा संतुलित हो।

इन दायित्वों को पूरा करते समय, एसबीएस प्रासंगिक सामग्री के संदर्भ को ध्यान में रखेगा, जिसमें प्रसारण या प्रकाशन के समय की परिस्थितियाँ, रिपोर्ट की जा रही सामग्री की प्रकृति और तात्कालिकता, किसी विशेष विषय से संबंधित साक्ष्यों का भार, वह मंच और सेवा जिस पर सामग्री प्रसारित या प्रकाशित की जाती है, और सार्वजनिक हित शामिल हैं।

निष्पक्षता और संतुलन के प्रति एसबीएस की प्रतिबद्धता यह आवश्यक बनाती है कि एसबीएस समय के साथ कार्यक्रम-सूची में गलत तरीके से प्रस्तुत किए बिना या एक का दूसरे पर अनुचित रूप से पक्षपात किए बिना विभिन्न महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करे।

समाचार सामग्री के संबंध में, विवादास्पद प्रमुख मुद्दों के लिए, जब तक वह मुद्दा सक्रिय हो, व्यावहारिक रूप से मुख्य प्रासंगिक दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करके संतुलन प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य मामलों के लिए, संतुलन एक उचित अवधि के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।

एसबीएस को किसी मुद्दे पर सभी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने या विभिन्न दृष्टिकोणों को समान समय आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है। एसबीएस द्वारा निर्मित और एसबीएस द्वारा कमीशन की गई समाचार एवं समसामयिक मामलों की सामग्री में विवादास्पद मुद्दों की आलोचनात्मक जांच और आलोचनात्मक तथा उत्तेजक दृष्टिकोणों की प्रस्तुति शामिल हो सकती है।

एसबीएस समाचार घटनाओं के सनसनीखेज़ और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुतीकरण से बचता है।

4. पारदर्शिता

4.1 हानि और अपमान

एसबीएस नवाचारी और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण सामग्री का प्रसारण और प्रकाशन करता है। एसबीएस की सामग्री विवादास्पद और उत्तेजक हो सकती है और कुछ लोगों को यह अप्रिय या आपत्तिजनक लग सकती है।

जो सामग्री हानि और आपत्ति का कारण बन सकती है, उसे संदर्भ द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, और कोड की धारा 4 में निर्दिष्ट अनुसार पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

4.1.1 समाचार, समसामयिक मामलों और अन्य सामग्री में हिंसा, परेशान करने वाली घटनाएँ और अन्य हानिकारक सामग्री जो वर्गीकृत नहीं है

हिंसक या ग्राफिक छवियों या ऑडियो और अन्य संभावित रूप से हानिकारक सामग्री (जैसे अपमानजनक भाषा या चिंताजनक विषय-वस्तु) को प्रसारित या प्रकाशित करने का निर्णय सामग्री की संपादकीय प्रासंगिकता, जिसमें इसकी समाचार-योग्यता और सार्वजनिक हित में होने का प्रश्न, विवरण का स्तर, स्पष्टता और ग्राफिक प्रकृति, साथ ही संभावित दर्शकों और उनकी उचित संवेदनशीलताओं का समुचित ध्यान शामिल है, के आधार पर लिया जाता है।

जहाँ उपयुक्त हो, हिंसक या चिंताजनक चित्रों, ऑडियो या अन्य हानिकारक सामग्री युक्त सामग्री से पहले समय पर और उपयुक्त चेतावनियाँ दी जाएँगी, जिनमें बताया जाएगा कि कुछ दर्शकों के लिए यह सामग्री चिंताजनक हो सकती है।

ब्रेकिंग या लाइव समाचार और अन्य लाइव सामग्री, जैसे कि समसामयिकी घटनाएँ और खेल कवरेज, का समय और विषय अप्रत्याशित हो सकते हैं। जितना संभव हो, एसबीएस संभावित दर्शकों को ध्यान में रखते हुए ऑडियो और छवियों के चयन में उचित सावधानी बरतेगा।

एसबीएस हिंसक या चिंताजनक समाचार घटनाओं का सनसनीखेज़ प्रस्तुतीकरण नहीं करेगा और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से दिखाएगा।

दुखद घटनाओं को कवर करते समय, एसबीएस सामग्री निर्माताओं से संवेदनशीलता बरतने की अपेक्षा करता है, विशेष रूप से जब वे पीड़ित लोगों से संपर्क कर रहे हों, उनका साक्षात्कार ले रहे हों या उनका चित्रण कर रहे हों।

4.1.2 सामग्री का वर्गीकरण और अनुसूचीकरण

एसबीएस यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री को उपयुक्त रूप से अनुसूचित किया जाए, जिसमें प्लेटफ़ॉर्म, सेवा, सामग्री का प्रकार, संभावित दर्शकोऔर सामग्री का वर्गीकरण जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाए।

एसबीएस की टेलीविजन प्रसारण सेवाओं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिनमें एसबीएस ऑन डिमांड भी शामिल है, पर प्रसारित और प्रकाशित टेलीविजन कार्यक्रमों और कार्यक्रम प्रचारों का मूल्यांकन एसबीएस द्वारा अनुलग्नक 1 में दिए गए वर्गीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

समाचार कार्यक्रम (समाचार अपडेट सहित), समसामयिकी कार्यक्रम और खेल कार्यक्रम इस अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकरण के अधीन नहीं हैं। इस सामग्री का मूल्यांकन, प्रसारण और प्रकाशन इस कोड की **धारा 4.1.1** के अनुसार किया जाता है।

वर्गीकरण श्रेणियाँ

एसबीएस निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों का उपयोग करता है:

- सामान्य (G)
- माता-पिता की देखरेख (PG)
- परिपक्व (M)
- परिपक्व दर्शक (MA15+)

वर्गीकरण प्रतीक

दिखाए जा रहे PG, M या MA15+ कार्यक्रम का वर्गीकरण प्रतीक एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं पर कार्यक्रम की शुरुआत में और एसबीएस ऑन डिमांड सहित एसबीएस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कार्यक्रम की जानकारी के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

वर्गीकरण सलाह

M या MA15+ वर्गीकरण निर्णय के मुख्य कारणों पर सलाह एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं पर कार्यक्रम की शुरुआत में दी जाएगी और एसबीएस ऑन डिमांड सहित एसबीएस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कार्यक्रम की जानकारी के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। असाधारण मामलों में, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वर्गीकरण संबंधी सलाह प्रदान की जा सकती है।

एसबीएस किसी PG-वर्गीकृत कार्यक्रम के लिए अन्य उपयुक्त वर्गीकरण संबंधी सलाह प्रदान कर सकता है, यदि उस कार्यक्रम में ऐसी सामग्री हो जिसकी तीव्रता या गंभीरता पर एसबीएस को उचित रूप से विश्वास हो कि छोटे बच्चों के माता-पिता या अभिभावक इसकी अपेक्षा नहीं करेंगे।

कार्यक्रम प्रचारों का समय-निर्धारण

कार्यक्रम प्रचार आसपास या निकटवर्ती कार्यक्रम सामग्री की वर्गीकरण सीमा से अधिक नहीं होंगे।

जहाँ उस सामग्री का, जिसमें कार्यक्रम प्रचार रखा गया है, वर्गीकरण नहीं किया गया है, का र्यक्रम प्रचारों कोएसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं पर समय क्षेत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

समय क्षेत्र

SBS सामान्यतः **अनुलग्नक 1** में निर्धारित प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी के लिए निर्दिष्ट समय क्षेत्र के अनुसार एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं पर टेलीविजन कार्यक्रम और कार्यक्रम प्रचार प्रसारित करेगा।

चूंकि PG सामग्री किसी भी समय दिखाई जा सकती है, इसलिए माता-पिता या अभिभावकों को बच्चों के देखने की निगरानी करते समय सामग्री की उपयुक्तता का आकलन करना होगा।

एसबीएस के पास कार्यक्रम वर्गीकरण के लिए समय क्षेत्र से किसी भी विचलन हेतु ठोस कारण होने चाहिए।

कुछ कार्यक्रम उनके वर्गीकरण समय क्षेत्र के बाहर प्रसारित या प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ व्यक्ति अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर प्रसारण संकेत तक पहुँचने का विकल्प चुनते हैं।

नोट: SBS डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिनमें एसबीएस लाइव-स्ट्रीम किए गए चैनल शामिल हैं, वर्गीकरण समय क्षेत्र प्रावधानों के अधीन नहीं हैं।

4.1.3 आत्महत्या

आत्महत्या सामग्री के लिए एक वैध विषय है, लेकिन इसे अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एसबीएस आत्महत्या के तरीकों का विस्तार से वर्णन या प्रदर्शन करने से बचने का ध्यान रखेगा। जहाँ विधियाँ वर्णित की गई हैं, एसबीएस संदर्भ और संपादकीय प्रासंगिकता का ध्यान रखेगा।

4.2 विज्ञापन और प्रायोजन

एसबीएस अपने प्रसारण और डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन और प्रायोजन घोषणाएँ प्रसारित और प्रकाशित कर सकता है।

एसबीएस बोर्ड को विज्ञापन और प्रायोजन से संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है और ये **एसबीएस वाणिज्यिक, वित्त पोषण और बाहरी संबंध दिशानिर्देशों** में उपलब्ध हैं।

अपने प्लेटफ़ॉर्मों पर विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं का चयन और प्लेसमेंट, जिसमें कोई भी प्रतिबंध शामिल हैं, एसबीएस का विषय है।

एसबीएस ने विज्ञापन की निम्नलिखित परिभाषा अपनाई है:

> ऐसा विषय जिसके लिए एसबीएस को नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जो जनता या उसके किसी वर्ग का किसी उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की ओर ध्यान आकर्षित करता है, और जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण को बढ़ावा देने या अनुशंसा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

एसबीएस ने प्रायोजन घोषणा की निम्नलिखित परिभाषा अपनाई है:

> ऐसा विषय जिसके लिए एसबीएस को नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जो दर्शकों को एसबीएस के साथ प्रायोजन संबंध की जानकारी देता है और प्रायोजक के उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण के तरीके को अनुकूल रूप से सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं की पहचान स्पष्ट रूप से एसबीएस सामग्री से अलग होनी चाहिए।

एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं के संबंध में, एसबीएस **वाणिज्यिक टेलीविजन उद्योग आचार संहिता** (2015) में विज्ञापनों के वर्गीकरण, समय निर्धारण और स्थान निर्धारण तथा प्रायोजन घोषणाओं से संबंधित विज्ञापन प्रतिबंधों का पालन करता है, जिसमें विशेष उत्पाद श्रेणियों से संबंधित प्रतिबंध भी शामिल हैं।

यह कोड विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं की सामग्री पर लागू नहीं होता है। विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं की सामग्री के बारे में शिकायतें विज्ञापन उद्योग की स्व-नियामक योजना (**एड स्टैंडर्ड्स**) के माध्यम से प्रबंधित की जाती हैं।

4.2.1 लाइव स्पोर्ट्स कवरेज में सट्टेबाजी और जुए से संबंधित ऑड्स (संभावनाओं) और विज्ञापनों के प्रचार पर प्रतिबंध

एसबीएस टेलीविजन और रेडियो प्रसारण सेवाएँ

एसबीएस निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करता है:

- व्यावसायिकटेलीविजन उद्योग आचार संहिता जो एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं पर किसी लाइव खेल आयोजन के दौरान प्रसारित होने वाले ऑड्स और सट्टेबाजी तथा जुए से संबंधित विज्ञापनों के प्रचार को प्रतिबंधित करती है (**परिशिष्ट 3: लाइव खेल आयोजन के दौरान प्रसारित होने वाले सट्टेबाजी और जुआ से संबंधित** ऑड्स और विज्ञापनों के प्रचार पर प्रतिबंध (30 मार्च 2018)); और
- व्यावसायिक रेडियो आचार संहिता जो एसबीएस रेडियो प्रसारण सेवाओं पर लाइव खेल कवरेज में जुआ और सट्टेबाजी के ऑड्स के प्रचार को प्रतिबंधित करती है (**धारा 9 लाइव खेल कवरेज में जुआ और सट्टेबाजी के ऑड्स का प्रचार** (30 मार्च 2018))।

इन प्रावधानों को एसबीएस पर लागू करने के प्रयोजनों के लिए:

- 'लाइसेंसधारी' के किसीभी संदर्भ को एसबीएस का संदर्भ माना जाएगा;
- 'लाइसेंस क्षेत्र' के किसी भीसंदर्भ को एक एसबीएस वाणिज्यिक बाज़ार के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा ('नोट' देखें)।

नोट: राष्ट्रीय बाजारों के लिए, या जहाँ किसी खेल आयोजन की लाइव-टू-एयर कवरेज के दौरान भौगोलिक रूप से लक्षित समय-स्थानांतरित विज्ञापन प्रदान नहीं किया जा सकता, वहाँ का समय क्षेत्र AEST या AEDT (जैसा लागू हो) है।

कुछ कार्यक्रम उनके स्थानीय समय क्षेत्र के बाहर प्रसारित या प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ व्यक्ति अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर प्रसारण संकेत तक पहुँचने का विकल्प चुनते हैं।

एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ

एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ **प्रसारण सेवाएँ (ऑनलाइन सामग्री सेवा प्रदाता) नियम 2018** के तहत समान नियमों के अधीन हैं।

4.3 सामुदायिक जानकारी

एसबीएस अपनी टेलीविजन और रेडियो प्रसारण सेवाओं पर सामुदायिक सूचना घोषणाओं और सामुदायिक प्रचार सामग्री, जिन्हें सामुदायिक सेवा घोषणाएं (CSAs) कहा जाता है, के प्रसारण और/या प्रकाशन के लिए सीमित मात्रा में निःशुल्क एयरटाइम, और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं पर स्थान, उपलब्ध कराता है।

एसबीएस सीएसए (CSA) को ऑस्ट्रेलियाई चैरिटीज़, सामुदायिक संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्याणकारी, शैक्षिक या लाभकारी प्रकृति की सेवाओं या कार्यक्रमों, या सार्वजनिक हित के अन्य मामलों को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क प्रसारण समय आवंटित करता है।

सीएसए के चयन में, एसबीएस निम्नलिखित सहित कई कारकों पर विचार करेगा:

- ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक और इंडिजिनस समुदायों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने के लिए एक बहुसांस्कृतिक और इंडिजिनस प्रसारण और डिजिटल मीडिया सेवा के रूप में इसकी भूमिका;
- संस्था का चरित्र और उसके उद्देश्य तथा लक्ष्य;
- संस्था की वित्तीय स्थिति;
- सीएसए की विषय-वस्तु।

निम्नलिखित विषय सीएसए के रूप में योग्य नहीं है:

- राजनीतिक विषय, जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पद के उम्मीदवार का प्रचार करने वाला विषय, या कानून में बदलाव की वकालत करने वाला विषय शामिल है।[1]
- सामाजिक, धार्मिक और कोई भी अन्य मामला जिसे एसबीएस समुदाय के लिए विवादास्पद या संभावित रूप से विभाजनकारी मानता है।
- ऐसी घोषणाएँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वाणिज्यिक संस्था या किसी व्यक्ति के हितों का प्रबल रूप से प्रचार करती हैं।

सीएसए को एसबीएस सेवाओं पर रखने का निर्णय एयरटाइम और डिजिटल स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा और यह पूरी तरह से एसबीएस के विवेकानुसार होगा।

सीएसए सामान्यतः अलग-अलग घोषणाओं के रूप में प्रसारित या प्रकाशित किए जाएंगे (उदाहरण के लिए विज्ञापन ब्रेकों के दौरान)। सीएसए को सामग्री के भीतर घोषणाओं के रूप में प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि एसबीएस उपयुक्त समझे।

सीएसए के चयन और नियुक्ति से संबंधित निर्णय एसबीएस की संपादकीय स्वतंत्रता और अखंडता के अधीन हैं। एसबीएस प्रदान की गई किसी भी सीएसए सामग्री में संपादन करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एसबीएस टेलीविजन प्रसारण सेवाओं पर प्रसारित सीएसए को **अनुभाग 4.2** में विज्ञापन से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप वर्गीकृत और रखा जाना चाहिए।

सीएसए की सामग्री के बारे में शिकायतों का प्रबंधन विज्ञापन उद्योग की स्व-नियामक योजना (**एड स्टैंडर्ड्स** के माध्यम से किया जाता है।

1 अपवाद वह मुफ्त प्रसारण समय है जो एसबीएस चुनावों और जनमत संग्रहों के दौरान प्रदान कर सकता है (देखें ***चुनाव और जनमत संग्रह – SBS की मुफ्त प्रसारण समय नीति****).*

5. सम्मान

5.1 पूर्वाग्रह, नस्लवाद और भेदभाव

एसबीएस किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण का मुकाबला करने का प्रयास करता है, जिसमें नस्ल, रंग, जातीयता, राष्ट्रीयता, लिंग, यौन अभिमुखता, लिंग पहचान, आयु, धर्म, विकलांगता, मानसिक या शारीरिक बीमारी, वैवाहिक या संबंध स्थिति, माता-पिता या व्यावसायिक स्थिति के आधार शामिल हैं।

एसबीएस उस सामग्री से बचेगा जो स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह और भेदभाव का समर्थन, सहन या प्रोत्साहन करती हो, और सामग्री प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ को ध्यान में रखेगा। इसमें विशिष्ट गुणों पर अनावश्यक जोर देने या रूढ़ियों के अनुचित उपयोग से बचना शामिल है। यह एसबीएस को इन मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा प्रस्तुत करने से नहीं रोकता, जिसमें उत्तेजक या व्यंग्यात्मक तरीके भी शामिल हैं।

एसबीएस समझता है कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की धारणाएँ और मूल्य अलग-अलग होते हैं। एसबीएस संपादकीय प्रासंगिकता और संदर्भ द्वारा उचित ठहराए जाने पर ऐसे विषय-वस्तु का प्रसारण या प्रकाशन कर सकता है जो सीधे तौर पर स्वीकृत सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को चुनौती देता हो।

5.2 स्व-पहचान

एसबीएस स्वीकार करता है कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों को आत्म-पहचान करने का अधिकार है।

एसबीएस किसी व्यक्ति या समूह की स्व-पहचान का उपयोग कर सकता है।

एसबीएस संदर्भ को ध्यान में रखेगा और एक सांस्कृतिक समूह द्वारा दूसरे का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त अपमानजनक शब्दों के अनुचित उपयोग से बचेगा।

जबकि एसबीएस उचित होने पर स्व-पहचान को स्वीकार करता है, इसका व्यक्ति या समूह की पहचान की मान्यता के अलावा कोई अन्य निहितार्थ नहीं है और इसे एसबीएस द्वारा किसी भी ऐतिहासिक या राजनीतिक दावों की मान्यता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

5.3 सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध सामग्री

एसबीएस अपनी सेवाएँ प्रदान करने और ऑस्ट्रेलिया के विविध भाषा समुदायों की सेवा करने के लिए अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में सामग्री का निर्माण, प्रसारण, उपशीर्षक और प्रकाशन करता है।

ये सेवाएँ अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा का उपयोग करने वाले लोगों को विभिन्न भाषाओं में ऑस्ट्रेलियाई समाचार, जानकारी और मनोरंजन प्रदान करके ऑस्ट्रेलियाई समाज में सामाजिक, नागरिक और आर्थिक भागीदारी सक्षम बनाती हैं। विशिष्ट भाषा या सांस्कृतिक समुदायों के लिए तैयार की गई सामग्री अंग्रेज़ी में भी प्रदान की जा सकती है।

विभिन्न भाषाओं में एसबीएस की सामग्री सांस्कृतिक पहचान और भाषा की निरंतरता तथा विकास का समर्थन करती है, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है, और ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ाती है।

एसबीएस द्वारा निर्मित भाषा सामग्री विभिन्न मुद्दों पर विचारों के सम्मानजनक आदान-प्रदान को सुगम बनाती है। एसबीएस किसी एक समूह के विचारों को दूसरे समूह के विचारों से ऊपर वरीयता नहीं देगा। एसबीएस विभिन्न प्रकार के विचारों और राय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, भले ही ऐसी राय विवादास्पद मानी जा सकती हों।

एनआईटीवी का लक्ष्य, कार्यक्रमों की उपलब्धता के अधीन, अपनी सामग्री में एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की सामुदायिक भाषाई विविधता को प्रतिबिंबित करना है।

समाचार और समसामयिक मामलों सहित अपनी सभी प्रोग्रामिंग में, एनआईटीवी इंडिजिनस दर्शकों से मूल एबोरिजिनल अंग्रेज़ी, क्रियोल और अन्य प्रथम राष्ट्रो भाषाओं और बोलियों का उपयोग करके सीधे संवाद कर सकता है।

5.4 इंडिजिनस संस्कृतियाँ

एसबीएस इंडिजिनस समाजों और ज्ञान प्रणालियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अखंडता और निरंतरता को मान्यता देता है और इन संरचनाओं के भीतर तथा इनके बीच विविधता को स्वीकार करता है।

एसबीएस का उद्देश्य सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच इंडिजिनस संस्कृतियों, ज्ञान और इतिहास की समझ और सम्मान को बढ़ावा देना और सुगम बनाना है।

एसबीएस अपनी सामग्री में इंडिजिनस विषयों, दृष्टिकोणों और मुद्दों से संबंधित सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं और प्रोटोकॉल का सम्मान करेगा।

5.4.1 एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग

एसबीएस ऑस्ट्रेलिया के इतिहास, संस्कृति और समाज में एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की अभिन्न भूमिका को और प्रथम राष्ट्रों की संस्कृतियों, भाषा और परंपराओं को बनाए रखने और उनका जश्न मनाने के महत्व को मान्यता देता है।

एसबीएस ऐसी सामग्री प्रदान करता है जिसका उद्देश्य एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों लोगों के लिए महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों को संबोधित करना है।

एसबीएस इस प्रकार की सामग्री के उत्पादन के सभी पहलुओं में एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की अधिकतम भागीदारी के लिए प्रयास करता है।

अपने सामग्री में, एसबीएस यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम राष्ट्र लोगों की संवेदनशीलताओं, सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का उचित सम्मान किया जाए।

5.4.2 एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के प्रोटोकॉल तथा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सामग्री

किसी भी सामग्री के निर्माण, प्रसारण या प्रकाशन में, जो एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की पहचान, इतिहास, राजनीति या संस्कृति से संबंधित हो, उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया की समर्पित राष्ट्रीय इंडिजिनस प्रसारण और डिजिटल मीडिया सेवा का केंद्र होने के नाते, एसबीएस समुदायों में एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के सांस्कृतिक प्रोटोकॉल को अत्यधिक महत्व देता है।

एसबीएस इंडिजिनस सांस्कृतिक विश्वासों, परंपराओं, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का सम्मान करता है और उन्हें स्वीकार करता है, और जहाँ संभव हो, सम्मानपूर्वक तरीके से उचित अनुमतियाँ सत्यापित और प्राप्त करेगा।

एसबीएस इस बात का निर्णय करते समय संपादकीय विवेक का प्रयोग करता है कि क्या ऐसी सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन किया जाए जिसमें ऐसी शब्दावली हो जो इंडिजिनस लोगों को गंभीर रूप से आहत करने या उन पर अनावश्यक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना रखती हो। एसबीएस उस संदर्भ और परिस्थितियों पर विचार करेगा जिनमें सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन किया जाना है।

उत्पादन प्रोटोकॉल

SBS सामग्री निर्माताओं से **'द ग्रेटर पर्सपेक्टिव' का संदर्भ लेने की मांग करता है: एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों** तथा **द ग्रेटर पर्सपेक्टिव पर फिल्म और टेलीविजन निर्माण के लिए प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश: सामग्री बनाते या तैयार करते समय पूरक दिशानिर्देश** (सामूहिक रूप से 'द ग्रेटर पर्सपेक्टिव')

इंडिजिनस लोगों के साथ काम करते समय, सामग्री निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांस्कृतिक प्रोटोकॉल को समझा और सम्मानित किया जाए, संबंधित प्रथम राष्ट्र समुदायों से परामर्श करना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए।

मृत इंडिजिनस व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

एसबीएस एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के सांस्कृतिक अधिकार, शोक और संस्कार की प्रथाओं का सम्मान करता है और उन्हें मान्यता देता है, जिसमें दिवंगत व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रोटोकॉल भी शामिल हैं।

एसबीएस उन स्थानों पर जहाँ ऐसे प्रोटोकॉल लागू हैं, इंडिजिनस दर्शकों को उपयुक्त चेतावनियाँ प्रदान करेगा।

सामग्री निर्माताओं को हाल ही में दिवंगत हुए एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों पर रिपोर्ट करते समय, या ऐसी सामग्री बनाते समय स्थानीय प्रथाओं का सत्यापन और पालन करना चाहिए। सामग्री निर्माताओं को संबंधित प्रथम राष्ट्र समुदायों से परामर्श करना चाहिए ताकिइन सांस्कृतिक प्रोटोकॉल को सुनिश्चित रूप से समझा और सम्मानित किया जाए।

इसमें यह मार्गदर्शन प्राप्त करना शामिल है कि सामग्री चेतावनियों का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं और उन्हें कैसे तैयार किया जाना चाहिए, यह स्वीकार करते हुए कि प्रोटोकॉल विविध, क्षेत्र-विशिष्ट होते हैं, और समुदायों के बीच भिन्न हो सकते हैं।

हालाँकि, एसबीएस स्वीकार करता है कि इंडिजिनस समुदायों की विविधता और जटिलता के कारण, प्रासंगिक प्रोटोकॉल और प्रथाओं का पालन करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है और मृतक व्यक्ति की चेतावनी हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकती है।

जहाँ उपयुक्त हो और सामुदायिक सलाह के अनुरूप, दिवंगत एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की तस्वीरों, फुटेज या ध्वनि रिकॉर्डिंग से पहले एक सांस्कृतिक रूप से सूचित चेतावनी दी जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि ऐसी सामग्री का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

5.5 गोपनीयता

एसबीएस व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकारों का सम्मान करता है।

इन अधिकारों को सार्वजनिक हित के विषयों पर रिपोर्ट करने में एसबीएस की भूमिका के साथ संतुलित किया गया है।

सार्वजनिक हित के विषयों पर रिपोर्ट करने के लिए, कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उनकी निजता में हस्तक्षेप उचित ठहराया जा सकता है।

एसबीएस 16 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के व्यक्तिगत या निजी मामलों के बारे में सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले विशेष सावधानी बरतेगा, विशेष रूप से जब यह कोई संवेदनशील मामला हो।

एसबीएस इस धारणा के तहत काम करता है कि यदि कोई सामग्री सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड की गई है या अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, तो उस सामग्री का संचार आम तौर पर किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

नोट: एसबीएस परिचालन उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है, जो एसबीएस गोपनीयता नीति के अधीन है।

6. प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और शिकायतें

एसबीएस अपनी सामग्री और प्लेटफ़ॉर्म के बारे में दर्शकों की सभी प्रतिक्रियाओं को महत्व देता है, चाहे वह प्रशंसात्मक हो या आलोचनात्मक।

दर्शकों की प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और शिकायतें एसबीएस के लिए दर्शकों के साथ जुड़ने और एसबीएस की संपादकीय प्रक्रियाओं तथा सेवाओं पर समुदाय की आवश्यकताओं और राय को जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका हैं।

एसबीएस अपनी सामग्री और प्लेटफ़ॉर्मों के बारे में शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेता है।

- अन्य मामलों के बारे में प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और सामान्य (गैर-कोड) शिकायतें एसबीएस ऑडियंस रिलेशंस – **अनुभाग 6.1** द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।
- एक शिकायत जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एसबीएस ने इस एसबीएस आचार संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, उसकी एसबीएस लोकपाल (कोड शिकायतें) द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच और प्रबंधन किया जाएगा – **धारा 6.2**।

एसबीएस आम तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर की गई टिप्पणियों और शिकायतों का जवाब नहीं देता है।

एसबीएस निम्नलिखित टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं या शिकायतों का जवाब नहीं देगा:

- लापरवाह, परेशान करने वाली, सद्भावना से न की गयी हों; या
- जो अपमानजनक या अभद्र हों।

6.1 प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और सामान्य (गैर-कोड) शिकायतें

एसबीएस अपनी सेवाओं के बारे में अपने दर्शकों से प्रतिक्रिया का स्वागत करता है। एसबीएस सामग्री और प्लेटफ़ॉर्म के बारे में प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और सामान्य (गैर-कोड) शिकायतें **यहाँ** एसबीएस से संपर्क करके की जा सकती हैं।

एसबीएस प्लेटफ़ॉर्म या सेवा के लिए तकनीकी सहायता **यहाँ** प्राप्त की जा सकती है।

उपयुक्त कार्रवाई निर्धारित करने के लिए प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ और सामान्य शिकायतें एसबीएस के भीतर संबंधित टीम या कर्मचारी को प्रदान की जाती हैं।

एसबीएस को प्रतिक्रियाओं, टिप्पणियों और सामान्य शिकायतों की जांच करने और उन पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि एसबीएस उठाई गई चिंताओं का उत्तर देने के लिए उचित प्रयास करेगा।

6.2 प्रसारित या प्रकाशित सामग्री के संबंध में कोड शिकायतें

कोड के प्रावधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली शिकायत का प्रबंधन एसबीएस लोकपाल द्वारा किया जाएगा और इसकी स्वतंत्र रूप से जांच की जाएगी। प्रतिक्रिया को कोड शिकायत के रूप में नहीं माना जाएगा।

एसबीएस लोकपाल सीधे प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है और सभी एसबीएस सामग्री प्रभागों से स्वतंत्र है।

सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन से पहले प्राप्त शिकायतें कोड शिकायतें नहीं मानी जातीं।

एसबीएस ऑस्ट्रेलिया में निवास न करने वाले लोगों या गैर-ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। एसबीएस गुमनाम शिकायतों की जांच नहीं करेगा।

एसबीएस उस सामग्री से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच को निलंबित कर देगा जो संबंधित कानूनी कार्यवाहियों का विषय है या बन जाती है। किसी भी जांच को फिर से शुरू करना कानूनी कार्यवाहियों की प्रकृति और परिणाम पर निर्भर करता है।

6.2.1 कोड शिकायत कैसे करें

एसबीएस सामग्री के बारे में कोड शिकायत को यथाशीघ्र एसबीएस लोकपाल को संबोधित किया जाना चाहिए। कोड शिकायत **यहाँ** एसबीएस लोकपाल से संपर्क करके की जा सकती है।

आपको करना है:

- अपना नाम बताकर अपनी पहचान करें और अपना ईमेल तथा डाक दोनों पते प्रदान करें;
- उस सामग्री की पहचान करें जो आपको चिंता का कारण है और उस तारीख का उल्लेख करें जब आपने उसे देखा, सुना या पढ़ा;
- उस प्लेटफ़ॉर्म का उल्लेख करें जिस पर आपने सामग्री सुनी, पढ़ी या देखी, उदाहरण के लिए एसबीएस टेलीविज़न या रेडियो चैनल का नाम, डिजिटल सेवा जैसे एसबीएस ऑन डिमांड प्रोग्राम या चैनल या एसबीएस ऑडियो सेवा, पॉडकास्ट या वेबसाइट;
- सामग्री के किस पहलू को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं, यह बताएं; और
- यदि संभव हो, तो यह पहचानें कि इस संहिता का कौन सा अनुभाग या अनुभाग सामग्री पर लागू होता है।

गोपनीयता से संबंधित शिकायतें केवल उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से की जा सकती हैं, जो मानता है कि उसकी गोपनीयता में हस्तक्षेप किया गया है।

अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में कोड शिकायतें दर्ज करें

यदि एसबीएस को अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में शिकायत प्राप्त होती है, तो एसबीएस उसे अंग्रेज़ी में अनुवादित करवाएगा और उसी अनुवाद पर निर्भर करेगा।

कोड शिकायत करने की समय-सीमाएँ

कोड संबंधी शिकायतें टेलीविजन या रेडियो प्रसारण की तारीख से चार (4) सप्ताह के भीतर एसबीएस को प्राप्त होनी चाहिए, या उस तारीख से जब सामग्री पहली बार किसी एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवा पर उपलब्ध कराई गई थी।

6.2.2 गोपनीयता

आम तौर पर, शिकायतों और शिकायतकर्ताओं की पहचान एसबीएस द्वारा गोपनीय रखी जाएगी और केवल एसबीएस लोकपाल द्वारा की जाने वाली जांच के उद्देश्य से आवश्यक होने पर संबंधित एसबीएस कर्मचारियों को ही प्रकट की जाएगी।

एसबीएस कोड शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करता है और शिकायतों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेगा जब तक कि:

- कानून द्वारा एसबीएस को ऐसा करने के लिए कहा जाता है;
- शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सार्वजनिक कर दी गई है; या
- शिकायत सार्वजनिक अभिलेख का विषय है।

6.2.3 एसबीएस कोड शिकायतों से कैसे निपटता है

एसबीएस लोकपाल को प्राप्त शिकायतों का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि वे कोड शिकायत के मानदंडों को पूरा करती हैं या नहीं।

एक बार शिकायत को कोड शिकायत के रूप में आंका जाने के बाद, एसबीएस लोकपाल शिकायतकर्ता को ईमेल द्वारा लिखित उत्तर भेजेगा:

- शिकायत की प्राप्ति की सूचना देते हुए;
- शिकायतकर्ता को सूचित करना कि एसबीएस लोकपाल मामले की जाँच करेंगे;
- शिकायत का जवाब देने के लिए एक अनुमानित समय-सीमा प्रदानकरना; और
- शिकायतकर्ता को, जहाँ लागू हो, यह सूचित करना कि वे **ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण** (ACMA) के माध्यम से बाहरी समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

कुछ मामलों में, अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रसारित या प्रकाशित किसी कार्यक्रम के पूरे या कुछ हिस्से का अनुवाद करना आवश्यक हो सकता है। इसमें कुछ देरी हो सकती है।

शिकायत समिति

एसबीएस लोकपाल या संबंधित एसबीएस प्रभाग निदेशक किसी कोड शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए एसबीएस शिकायत समिति को संदर्भित कर सकते हैं। शिकायत समिति कोड शिकायत और एसबीएस लोकपाल द्वारा की गई किसी भी सिफारिश की समीक्षा करेगी और यह निर्णय करेगी कि शिकायत को स्वीकार किया जाए या खारिज किया जाए।

शिकायत समिति अपने विवेकानुसार स्वयं को सूचित करने का तरीका तय करेगी।

एसबीएस शिकायत समिति का अर्थ है एक समिति जिसमें प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष), एसबीएस लोकपाल, एसबीएस सामग्री निदेशक, और कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक, या समय-समय पर मौजूद ऐसे समकक्ष पद शामिल हों।

कोड शिकायतों के उत्तर

एसबीएस लोकपाल शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को ईमेल द्वारा लिखित उत्तर प्रदान करने का प्रयास करेगा, और किसी भी स्थिति में (अनुवाद की आवश्यकता के कारण होने वाली देरी को छोड़कर) 60 दिनों के भीतर ऐसा कर लेगा।

असाधारण परिस्थितियों में 60-दिन की समयसीमा में विस्तार उचित ठहराया जा सकता है। शिकायतकर्ता को संशोधित समय-सीमा और देरी के कारणों की जानकारी दी जाएगी।

शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा:

- चाहे कोड शिकायत को कायम रखा जाए;
- एसबीएस लोकपाल के निर्णय के कारण; और
- जहाँ लागू हो, एसबीएस लोकपाल की प्रतिक्रिया से संतुष्ट न होने पर मामले को एसीएमए को संदर्भित करने का उनका अधिकार।

स्वीकार की गई शिकायतें

यदि कोड शिकायत को एसबीएस लोकपाल द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो की जा सकने वाली कार्रवाइयों में शामिल हो सकते हैं:

- यह स्वीकार करते हुए कि कोई उल्लंघन हुआ है;
- क्षमा मांगना;
- सुधारित जानकारी का प्रसारण या प्रकाशन; या
- सुधार, खंडन या क्षमा का प्रसारण या प्रकाशन।

6.2.4 एसीएमए को संदर्भित करना

शिकायतकर्ता:

- जिन्हें इसे करने के 60 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिला है या, असाधारण परिस्थितियों में, सलाह दी गई समय अवधि के भीतर नहीं मिला है; या
- जिन्हें उस अवधि के भीतर एक ऐसा उत्तर मिला जिसे वे अपर्याप्त मानते हैं;

एसबीएस टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए, *प्रसारण सेवा अधिनियम 1992* (सीएचटी) की धारा 150 के तहत एसीएमए से शिकायत कर सकते हैं।

एसीएमए एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाओं पर सामग्री से संबंधित शिकायतों से नहीं निपटता है।

7. शब्दावली

ACMA का अर्थ है ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण (Australian Communications and Media Authority)।

विज्ञापन का अर्थ उस सामग्री से है जिसके लिए एसबीएस को नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जो जनता या उसके किसी वर्ग का किसी उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की ओर ध्यान आकर्षित करती है, और जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण को बढ़ावा देने या अनुशंसा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया हो (**धारा 4.2**)।

ऐड स्टैंडर्ड्स का अर्थ वह उद्योग निकाय है जो ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन स्व-नियामक प्रणाली की शिकायत समाधान प्रक्रिया (**अनुभाग 4.2** और **4.3**) का प्रबंधन करता है।

प्रसारण सेवा का वही अर्थ है जो एसबीएस अधिनियम की धारा 3 में है।

कोड का अर्थ एसबीएस आचार संहिता है।

कोड शिकायत का अर्थ है ऐसी शिकायत जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि एसबीएस ने एसबीएस द्वारा प्रसारित या प्रकाशित सामग्री के लिए एसबीएस आचार संहिता का उल्लंघन किया है (**धारा 6.2**)।

सामग्री का अर्थ ऑडियो, वीडियो, दृश्य और पाठ्य सामग्री है।

अवर्गीकृत सामग्री में केवल ऑडियो सामग्री, समाचार कार्यक्रम (समाचार अपडेट सहित), समसामयिक कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, और एसबीएस की डिजिटल मीडिया सेवाओं पर ऐसी ऑडियो-विज़ुअल सामग्री शामिल है जो **धारा 4.1.2** के तहत वर्गीकृत टेलीविजन कार्यक्रम या कार्यक्रम प्रचार नहीं है।

सीएसए का अर्थ सामुदायिक सूचना घोषणाएँ और सामुदायिक प्रचार सामग्री (**अनुभाग 4.3**) है।

समसामयिक घटनाएँ (करंट अफेयर्स) का अर्थ है एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें वर्तमान प्रासंगिकता वाले सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण, टिप्पणी, व्याख्या या चर्चा शामिल हो, और इसमें कोई वृत्तचित्र शामिल नहीं है।

डिजिटल मीडिया सेवा का वही अर्थ है जो एसबीएस अधिनियम की धारा 3A में है।

FAST चैनल का मतलब एक मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन चैनल है।

प्रबंध निदेशक का वही अर्थ है जो एसबीएस अधिनियम की धारा 3 में है।

एनआईटीवी का अर्थ है नेशनल इंडिजिनस टेलीविजन।

समाचार का अर्थ किसी भी वर्तमान, हालिया या ताज़ा घटना, स्थिति, मुद्दे आदि की रिपोर्ट है। इसमें समाचार कार्यक्रम, समाचार बुलेटिन, समाचार अपडेट तथा खेल, वित्त और मौसम संबंधी समाचार और अपडेट शामिल हैं।

ऑनलाइन सामग्री का अर्थ है ऐसी सामग्री जो एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाओं और तृतीय-पक्ष डिजिटल मीडिया सेवाओं पर प्रकाशित की जाती है, जिसमें एसबीएस ऑन डिमांड, एसबीएस वेबसाइट, एसबीएस ऐप्स, एसबीएस पॉडकास्ट और एसबीएस सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हैं।

एसबीएस का अर्थ एसबीएस अधिनियम के तहत संचालित विशेष प्रसारण सेवा निगम है, और
इसमें एनआईटीवी भी शामिल है।

एसबीएस अधिनियम का अर्थ है ***विशेष प्रसारण सेवा अधिनियम 1991*** (Cth)।

एसबीएस शिकायत समिति का अर्थ है एक समिति जिसमें प्रबंध निदेशक, एसबीएस लोकपाल, एसबीएस सामग्री निदेशक (कंटेंट डायरेक्टर्स) और कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक, या समय-समय पर मौजूद ऐसे समकक्ष पद शामिल हों (**धारा 6.2.3**)।

एसबीएस सामग्री का अर्थ है ऐसी सामग्री जो एसबीएस द्वारा निर्मित, कमीशन की गई, अधिग्रहित या अन्यथा प्राप्त की गई हो, और जिसे एसबीएस के उन प्लेटफ़ॉर्मों पर प्रसारित या प्रकाशित किया जाता है जिन पर एसबीएस का संपादकीय नियंत्रण होता है (**धारा 2.1**)।

एसबीएस कंटेंट डायरेक्टर्स का अर्थ है मुख्य विपणन एवं वाणिज्यिक अधिकारी, ऑडियो एवं भाषा सामग्री निदेशक, प्रथम राष्ट्र निदेशक, समाचार एवं समसामयिक घटनाओं के निदेशक, और टेलीविजन निदेशक, या समय-समय पर मौजूद ऐसे समकक्ष पद (**धारा 6.2.3**)।

एसबीएस डिवीजन निदेशक का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी है: मुख्य विपणन एवं वाणिज्यिक अधिकारी, ऑडियो एवं भाषा सामग्री निदेशक, कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक, प्रथम राष्ट्रों के निदेशक, समाचार एवं समसामयिक मामलों के निदेशक, दूरदर्शन निदेशक, या समय-समय पर मौजूद ऐसे समकक्ष पद (**अनुभाग 6.2.3**)।

एसबीएस प्लेटफ़ॉर्म में एसबीएस टेलीविजन और रेडियो प्रसारण सेवाएँ, एसबीएस डिजिटल मीडिया सेवाएँ और तीसरे पक्ष के प्लेटफ़ॉर्म पर एसबीएस खाते और सेवाएँ शामिल हैं (**अनुभाग 2.1**)।

प्रायोजन घोषणा का अर्थ उस विषय से है जिसके लिए एसबीएस को नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जो दर्शकों को एसबीएस के साथ प्रायोजन संबंध की जानकारी देता है और प्रायोजक के उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की रेखा को अनुकूल रूप से सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है (**धारा 4.2**)।

खेल कार्यक्रम का अर्थ है:

- **धारा 4.2 विज्ञापन और प्रायोजन** के प्रयोजनों **के** लिए, विज्ञापनों और प्रायोजन घोषणाओं के समय और स्थान के संबंध में, इसका वही अर्थ है जो व्यावसायिक टेलीविजन उद्योग आचार संहिता (2015) (धारा 8 व्याख्या) में 'खेल कार्यक्रम' का है।
- **अनुभाग 4.1.2 सामग्री का वर्गीकरण और अनुसूचीकरण** के प्रयोजनों केलिए, का अर्थ है:
  - किसी खेल आयोजन का प्रसारण (चाहे वह लाइव, रीप्ले या हाइलाइट्स हो);
  - खेल संबंधी टिप्पणी, विश्लेषण, साक्षात्कार और समाचार;
  - खेल से संबंधित प्रस्तुति, पुरस्कार और समारोह;

  और इसमें खेल वृत्तचित्र या फिल्में, या खेल विषय-वस्तु या उससे संबंधित हास्य या हल्के मनोरंजन और विविधता कार्यक्रम शामिल नहीं हैं।

वर्ल्डवॉच का अर्थ है वर्ल्डवॉच बैनर के तहत एसबीएस द्वारा प्रसारित या प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय समाचारों और समसामयिक घटनाओं के बुलेटिनों की श्रृंखला (**अनुभाग 2.2.1**)।

परिशिष्ट 1

एसबीएस वर्गीकरण दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश *वर्गीकरण (प्रकाशन, फिल्में और कंप्यूटर गेम) अधिनियम 1995* (Cth) के अंतर्गत निर्मित फिल्मों और कंप्यूटर खेलों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देशों से अनुकूलित हैं।

निम्नलिखित वर्गीकरणों के अनुप्रयोग में मार्गदर्शक सिद्धांत संदर्भ है। जो एक संदर्भ में अनुचित और अस्वीकार्य है, वह दूसरे संदर्भ में उचित और स्वीकार्य हो सकता है। विचार करने योग्य कारकों में शामिल हैं: प्रस्तुति की कलात्मक या शैक्षिक योग्यता, किसी अनुक्रम का उद्देश्य, लहजा, कैमरा कार्य, सामग्री की तीव्रता और प्रासंगिकता, प्रस्तुतीकरण का तरीका, और लक्षित दर्शक।

एसबीएस का मानना है कि कार्यक्रमों की अखंडता सबसे अच्छी तरह तब बनी रहती है जब उन्हें बिना किसी परिवर्तन के प्रसारित किया जाए। एसबीएस कार्यक्रमों को अनुसूचीबद्ध करेगा या, यदि आवश्यक हो, एसबीएस वर्गीकरण श्रेणियों के अनुसार उन्हें संशोधित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रसारण के लिए, या विशेष समयों पर प्रसारण के लिए उपयुक्त हैं।

एसबीएस के वर्गीकरण दिशानिर्देश संस्कृति, हिंसा, यौन और नग्नता, तथा भाषा के प्रयोग पर विशेष ध्यान देते हैं।

संस्कृति

एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक मीडिया सेवा के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए, एसबीएस एबोरिजिनल औरटोरेस स्ट्रेट आइलैंडर सहित विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को दर्शाता है।

एसबीएस प्रत्येक कार्यक्रम के सांस्कृतिक संदर्भ के अपने ज्ञान के आधार पर कार्यक्रमों का वर्गीकरण करता है। एसबीएस प्रासंगिक वर्गीकरण तत्वों की व्याख्या इस प्रकार करेगा कि दर्शकों को प्रासंगिक सांस्कृतिक जानकारी प्रस्तुत करने में कोई बाधा न आए या विविध सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने की उसकी क्षमता सीमित न हो।

हिंसा

एसबीएस स्वीकार करता है कि हिंसा दैनिक जीवन का एक खेदजनक हिस्सा है, जिससे जिम्मेदारी से निपटा जाना चाहिए। एसबीएस यह स्वीकार करता है कि कुछ लोगों के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा का चित्रण उन्हें परेशान और विचलित करने की अनूठी क्षमता रखता है।

हिंसा से संबंधित कार्यक्रम की सामग्री का मूल्यांकन करते समय, निम्नलिखित सहित कई कारकों पर विचार किया जाता है:

- स्पष्टता की डिग्री;
- चिंतित, परेशान या स्तब्ध होने की प्रवृत्ति;
- संदेश के संबंध में महत्व; और
- सामाजिक महत्व।

नाटक में हिंसा के प्रस्तुतीकरण पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। नाट्य परंपरा में हिंसा हमेशा से एक शक्तिशाली घटक रही है और एसबीएस स्वीकार करता है कि ऐसे अवसर आते हैं जब लेखक और निर्देशक समाज के बारे में महत्वपूर्ण बात कहने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं।

यौन संबंध और नग्नता

यौन संबंध और नग्नता से संबंधित कार्यक्रम की सामग्री का मूल्यांकन करते समय, कई कारकों पर विचार किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- जिस जिम्मेदारी के साथ दृश्यों और विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, विशेष रूप से बिना-सहमति वाली यौन गतिविधियों और नाबालिगों की भागीदारी वाली किसी भी यौन गतिविधि के प्रस्तुतीकरण की;
- स्पष्टता की सीमा; और
- समग्र कार्यक्रम के संदर्भ में दृश्यों का प्रभाव।

भाषा

एसबीएस कार्यक्रमों का वर्गीकरण करते समय अपमानजनक भाषा के उपयोग और प्रचलित सामुदायिक मानकों को ध्यान में रखेगा।

वर्गीकरण श्रेणियाँ

G – सामान्य

G प्रोग्राम किसी भी समय दिखाए जा सकते हैं।

G प्रोग्राम, जिनमें प्री-स्कूल और स्कूल-आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाए गए कार्यक्रम शामिल हैं, बच्चों के अकेले देखने के लिए उपयुक्त हैं। कुछ G कार्यक्रम बड़े बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

G वर्गीकरण का यह अनिवार्य रूप से अर्थ नहीं कि कार्यक्रम बच्चों को पसंद आएगा। कुछ G कार्यक्रमों में ऐसी थीम या कथानक होते हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं होते।

चाहे यह कार्यक्रम बच्चों के लिए हो या न हो, विषयों और अन्य वर्गीकृत तत्वों के प्रस्तुतीकरण में सावधानी और विवेक बरता जाएगा।

कलात्मक, सांस्कृतिक या शैक्षिक संदर्भों में वर्गीकृत किए जा सकने वाले तत्वों की अधिक विस्तृत प्रस्तुति तब अनुमत हो सकता है, जब यह प्रस्तुति विवेकपूर्ण हो, संदर्भ द्वारा उचित ठहराया गया हो, और प्रभाव में अत्यंत सौम्य हो।

थीम: थीमों की प्रस्तुति को बहुत सूक्ष्म, संदर्भ द्वारा औचित्यसंगत और प्रभाव में अत्यंत हल्का होना चाहिए। खतरनाक, अनुकरण योग्य व्यवहार का प्रदर्शन केवल उन्हीं परिस्थितियों में अनुमत है जहाँ संदर्भ द्वारा यह उचित ठहराया गया हो। ऐसे व्यवहार के किसी भी चित्रण से खतरनाक नकल प्रोत्साहित नहीं होनी चाहिए। अलौकिक या बहुत हल्के हॉरर विषय शामिल किए जा सकते हैं।

हिंसा: हिंसा, जिसमें यौन हिंसा शामिल है, बहुत सूक्ष्म रूप से संकेतित की जा सकती है, लेकिन वह:

- सौम्य शैली में हो;
- खतरे या धमकी की बहुत कम भावना रखता हो; और
- अनावश्यक न हो।

यौन संबंध: यौन गतिविधि को:

- बहुत ही सूक्ष्म दृश्य या मौखिक संकेतों में सुझाया जाए; और
- अनावश्यक न हो।

भाषा: अश्लील भाषा:

- बहुत सौम्य हो; और
- अनावश्यक न हो।

नशीले पदार्थों का उपयोग: नशीले पदार्थों का उपयोग उपयोग के चित्रण को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। नशीले पदार्थों के उपयोग का संकेत केवल बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिया जाना चाहिए, और इसे संदर्भ द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।

नग्नता: यौन संदर्भ के बाहर नग्नता का विवरण या अनावश्यक प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए।

यौन संदर्भ में नग्नता की अनुमति तब दी जा सकती है जब प्रस्तुति बहुत ही सूक्ष्म, संदर्भ द्वारा उचित और प्रभाव में बहुत ही हल्का हो।

PG – अभिभावकीय मार्गदर्शन

15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए अभिभावकीय/संरक्षक मार्गदर्शन की सिफारिश की जाती है।

PG कार्यक्रम किसी भी समय दिखाए जा सकते हैं।

PG कार्यक्रमों में वयस्क विषय और अवधारणाएँ हो सकती हैं, जिन्हें 15 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा देखने पर वयस्क मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है।

PG वर्गीकरण माता-पिता या अभिभावकों को सूचित करता है कि इस श्रेणी की सामग्री में ऐसे दृश्य या संदर्भ हो सकते हैं जो वयस्क मार्गदर्शन के बिना बच्चों के लिए भ्रमित करने वाले या परेशान करने वाले हो सकते हैं।

माता-पिता या अभिभावक अपनी देखरेख में बच्चों के लिए सामग्री की निगरानी करना चुन सकते हैं। कुछ लोग अपनी देखरेख में बच्चों के साथ सामग्री देखना चुन सकते हैं। अन्य लोगों को सामग्री पर चर्चा करने के लिए देखने के दौरान या बाद में उपलब्ध रहना पर्याप्त लग सकता है।

PG वर्गीकरण से यह अनिवार्य रूप से नहीं पता चलता कि कार्यक्रम बच्चों को पसंद आएगा। कुछ PG कार्यक्रमों में ऐसी थीम या कथानक होते हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं होते।

थीम: थीमों की प्रस्तुति को सूक्ष्म और प्रभाव में हल्का होना चाहिए। अलौकिक या हल्के हॉरर विषय शामिल किए जा सकते हैं।

हिंसा: हिंसा को सूक्ष्म रूप से संकेतित या शैलीबद्ध किया जा सकता है और इसे:

- प्रभाव में सौम्य होना चाहिए; और
- विस्तार से न दिखाया जाए।

यौन संबंध: यौन गतिविधि का सुझाव दिया जा सकता है, लेकिन यह:

- गुप्त रहें; और
- अनावश्यक न हो।

यौन गतिविधि के मौखिक संदर्भ विवेकपूर्ण होने चाहिए।

भाषा: अशिष्ट भाषा का प्रयोग हल्का होना चाहिए।

नशीले पदार्थों का उपयोग: अनुशासित मौखिक संदर्भ और मादक पदार्थों के उपयोग के हल्के दृश्य शामिल किए जा सकते हैं। अधिक विस्तृत विवरणों का प्रभाव हल्का ही होना चाहिए।

नग्नता: यौन संदर्भ में नग्नता का संकेत दिया जा सकता है, लेकिन यह:

- गुप्त रहें; और
- अनावश्यक न हो।

यौन संदर्भ के बाहर नग्नता को विस्तृत या अनावश्यक नहीं होना चाहिए।

M – परिपक्व

15 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है।

एसबीएस, एसबीएस वाइसलैंड, एसबीएस वर्ल्ड मूवीज़, एसबीएस वर्ल्डवॉच

M प्रोग्राम निम्नलिखित समय के बीच दिखाए जा सकते हैं:

- सुबह 10.00 बजे और दोपहर 3.00 बजे; और
- शाम 7.30 बजे और सुबह 6.00 बजे।

एनआईटीवी और एसबीएस फ़ूड

M प्रोग्राम निम्नलिखित समय के बीच दिखाए जा सकते हैं:

- स्कूल के दिनों में सप्ताह के कार्यदिवसों पर सुबह 10. 00 बजे और दोपहर 3.00 बजे; और
- सप्ताह के किसी भी दिन शाम 7. 30 बजे और सुबह 6.00 बजे।

M श्रेणी में वर्गीकृत कार्यक्रमों में ऐसी सामग्री होती है जिसे 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए संभावित रूप से हानिकारक या परेशान करने वाला माना जाता है। वर्गीकृत तत्वों के चित्रण और संदर्भों में विवरण हो सकते हैं।

हालांकि अधिकांश विषयों को संबोधित किया जा सकता है, स्पष्टता और तीव्रता की सीमा यह निर्धारित करेगी कि M श्रेणी में क्या शामिल किया जा सकता है – कम स्पष्ट या कम तीव्र सामग्री M वर्गीकरण में शामिल की जाएगी और अधिक स्पष्ट या अधिक तीव्र सामग्री, विशेष रूप से हिंसक सामग्री, MA15+ वर्गीकरण में शामिल की जाएगी।

थीम: अधिकांश विषयों को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तुति विवेकपूर्ण होनी चाहिए और इसका प्रभाव मध्यम से अधिक नहीं होना चाहिए।

हिंसा: आम तौर पर, हिंसा के चित्रण:

- बहुत अधिक विवरणात्मक न हो; और
- लंबा न खिंचे।

यथार्थवादी प्रस्तुतियों में, बहुत अधिक विवरण वाली हिंसा के चित्रणों का:

- प्रभाव गहरना नहीं होना चाहिए; और
- अनावश्यक न हो।

शैलीबद्ध प्रस्तुतियों में, हिंसा के चित्रण में अधिक विवरण शामिल किया जा सकता है, यदि इससे प्रभाव नहीं बढ़ता।

यौन हिंसा के मौखिक और दृश्य संदर्भ केवल तभी शामिल किए जा सकते हैं जब वे:

- गुप्त हों; और
- कथानक या वृत्तचित्र संदर्भ द्वारा दृढ़ता से औचित्यसंगत हों।

यौन संबंध: यौन गतिविधि का संकेत हो सकता है।

यदि इससे प्रभाव नहीं बढ़ता है, तो यौन गतिविधि के मौखिक और पाठ्य संदर्भ दृश्य चित्रणों की तुलना में अधिक विस्तृत हो सकते हैं।

भाषा: अशिष्ट भाषा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव मध्यम से अधिक नहीं होना चाहिए।

नशीले पदार्थों का उपयोग: नशीले पदार्थों का उपयोग दिखाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव मध्यम से अधिक नहीं होना चाहिए।

नग्नता: यौन संदर्भ के बाहर नग्नता दिखाई जा सकती है, लेकिन विस्तृत प्रस्तुतियों को अनावश्यक नहीं होना चाहिए।

यौन संदर्भ में नग्नता में बहुत अधिक विवरण नहीं होना चाहिए और इसे लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए।

MA15+ – परिपक्व दर्शक

15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है।

MA15+ कार्यक्रम सप्ताह के किसी भी दिन रात 8.30 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच दिखाए जा सकते हैं।

MA15+ कार्यक्रम, उनमें शामिल विषय-वस्तु या वर्गीकृत तत्वों के व्यवहार के कारण, 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

MA15+ श्रेणी की सामग्री ऐसे मुद्दों से संबंधित है या ऐसी दृश्यावलियों को शामिल करती है, जिनके लिए अधिक परिपक्व दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत तत्वों या तत्वों के संयोजन का प्रभाव 15 वर्ष से कम आयु के दर्शकों के लिए हानिकारक या परेशान करने वाला माना जाता है।

जबकि अधिकांश विषयों को प्रस्तुत किया सकता है और उन्हें MA15+ श्रेणी में समायोजित किया जा सकता है – अधिक स्पष्ट या अधिक प्रभावशील सामग्री, विशेष रूप से हिंसक सामग्री, MA15+ वर्गीकरण में शामिल की जाएगी और कम स्पष्ट या कम प्रभावशील सामग्री M वर्गीकरण में शामिल की जाएगी।

थीम: उच्च तीव्रता वाले विषयों के उपचार को अनावश्यक नहीं होना चाहिए।

हिंसा: आम तौर पर, हिंसा के चित्रण का अधिक प्रभाव नहीं होना चाहिए।

यथार्थवादी प्रस्तुतियों में, प्रबल प्रभाव वाली हिंसा का विस्तृत चित्रण:

- लंबा न खिंचे; और
- अनावश्यक न हो।

शैलीबद्ध प्रस्तुतियों में हिंसा का चित्रण अधिक विस्तृत हो सकता है, यदि इससे प्रभाव नहीं बढ़ता।

यौन हिंसा के चित्रण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वे लम्बे, अनावश्यक या शोषणकारी न हों।

यौन संबंध: यौन गतिविधि का संकेत हो सकता है।

यदि इससे प्रभाव नहीं बढ़ता है, तो मौखिक, पाठ्य और ऑडियो संदर्भ दृश्य निरूपणों की तुलना में अधिक विस्तृत हो सकते हैं।

भाषा: अश्लील भाषा का उपयोग किया जा सकता है।

नशीले पदार्थों का उपयोग: नशीले पदार्थों का उपयोग दिखाया जा सकता है। अधिक विस्तृत चित्रणों का अधिक प्रभाव नहीं होना चाहिए।

नग्नता: नग्नता को संदर्भ के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। यौन संदर्भ में नग्नता का विस्तृत चित्रण शोषणात्मक नहीं होना चाहिए।

एसबीएस सिडनी

डाक पता
लॉक्ड बैग 028
क्रोज़ नेस्ट एनएसडब्लू 1585

सड़क पता
14 हर्बर्ट स्ट्रीट
आर्टार्मन, न्यू साउथ वेल्स 2064

एसबीएस मेलबर्न

डाकपता
पीओ बॉक्स 294
साउथ मेलबर्न VIC 3205

सड़क पता
एल्फ्रेड डीकिन बिल्डिंग, फेडरेशन स्क्वायर
फ्लिंडर्स और स्वानसन सड़कों का कोना, मेलबर्न VIC 3000

टेलीफोन 1800 500 727

sbs.com.au